"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]. रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011— चैत्र 4, शक 1933

भाग 3 (1)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक/307/आयुक्त/स्थापना/10.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम आठ के अन्तर्गत रायपुर संभाग के निम्नलिखित जिलों के लिए उनके सम्मुख दर्शित तिथियों को स्थानीय अवकाश निम्नानुसार घोषित किया जाता है :-

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थानीय अवकाश का नाम (3)	दिनांक (4)	दिन (5)	स्थान (6)
1.	रायपुर	1. गणेश चतुर्थी (भाद्रपद) 2. महाष्टमी (आश्विन) 3. दीपावली का दूसरा दिन	1-9-11 4-10-11 27-10-11	गुरुवार मंगलवार गुरुवार	रायपुर नगर को छोड़कर संपूर्ण जिला रायपुर. (रायपुर नगर हेतु स्थानीय अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा घोषित होंगे.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	दुर्ग	1. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	27-9-11	मंगलवार	संपूर्ण जिला दुर्ग.
		2. महाष्टमी (आश्विन)	4-10-11	मंगलवार	
		3. दीपावली का दूसरा दिन	27-10-11	गुरुवार	
3.	राजनांदगांव	1. गोविन्दा उत्सव	23-8-11	मंगलवार	केवल डोंगरगढ़ तहसील हेतु.
		2. गणेश विसर्जन	12-9-11	सोमवार	संपूर्ण जिला राजनांदगांव (तहसील डोंगरगढ़ को छोड़कर)
		3. महाष्टमी (आश्विन)	4-10-11	मंगलवार	संपूर्ण जिला राजनांदगांव
		4. दीपावली का दूसरा दिन	27-10-11	गुरुवार	संपूर्ण जिला राजनांदगांव
4.	कबीरधाम	1. भाईदूज	21-3-11	सोमवार	संपूर्ण जिला कबीरधाम
		2. महाष्टमी (आश्विन)	5-10-11	बुधवार	
		3. दीपावली का दूसरा दिन	27-10-11	गुरुवार	
5.	धमतरी	1. माघ पूर्णिमा	18-2-11	शुक्रवार	संपूर्ण जिला धमतरी
		2. महाष्टमी (आश्विन)	4-10-11	मंगलवार	
		3. दीपावली का दूसरा दिन	27-10-11	गुरुवार	
6.	महासमुन्द	1. माघ पूर्णिमा	18-2-11	शुक्रवार	संपूर्ण जिला महासमुंद
		2. महाष्टमी (आश्विन)	4-10-11	मंगलवार	
		3. दीपावली का दूसरा दिन	27-10-11	गुरुवार	

मनोहर पाण्डे,
आयुक्त.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

फार्म-4 नियम देखिये

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/220/लो. न्या./अ. वि. अ./वा-2.— आवेदक सरदार मंजीत सिंह होरा पिता सरदार गुरवचन सिंह होरा निवासी जे. पी. विहार मंगला, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग. एवं 4 अन्य ने "श्री शरन संस्थान ट्रस्ट, बिलासपुर छ. ग." को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	" श्री शरन संस्थान ट्रस्ट, बिलासपुर छ. ग. " ग्राम मंगला, तहसील व जिला बिलासपुर छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

सौम्या चौरसिया,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पाटन जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 25 फरवरी 2011

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास पाटन जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /526/प्र-1/अविअ/2011.— चूंकि न्यास सिद्ध जय अर्चना मोहदीपाठ जिला दुर्ग की ओर से न्यासी श्री भाव सिंह देवांगन ग्राम मोहदीपाठ तहसील गुण्डरदेही जिला दुर्ग ने छत्तीसगढ़ पब्लिकं लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18-04-2011 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पी. तिर्की, पंजीयक लोक न्यास, अनुविभाग पाटन जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 18-04-2011 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	न्यास सिद्ध जय अर्चना, मोहदीपाठ जिला दुर्ग तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	नगद रु. 89791/- सेवा सहकारी समिति के समिति बचत बैंक खाता क्रमांक 264 जिला दुर्ग.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 11-02-2011 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

पी. तिर्की,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

प्ररूप क्र. 4
[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/2462/प्र. 3/लोक न्यास/अविअ/2010.—यत: कि श्री सिरेमल देशलहरा आ. स्व. श्री मोतीलाल देशलहरा एवं अन्य -03 निवासी 141/21 मुक्तनगर दुर्ग द्वारा "जमुना देवी सिरेमल देशलहरा पारमार्थिक एवं धार्मिक न्यास दुर्ग" के छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 05-03-2011 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुंत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	जमुना देवी सिरेमल देशलहरा पारमार्थिक एवं धार्मिक न्यास दुर्ग
2.	चल संपत्ति	:	नगद -11,00,000.00 अक्षरी ग्यारह लाख रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

प्रकरण क्र. ब/113 (4) वर्ष 2009-10

क्रमांक /337/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2011.—आवेदक युसुफ मेमन एवं श्रीमती शबाना मेमन ने अब्दुल गफ्फर मेमोरियल ट्रस्ट, संजीवनी कैंसर हॉस्पीटल, जैन मंदिर (भैरव सोसायटी) के सामने दावड़ा कालोनी, पचपेढ़ी नाका रायपुर तहसील व जिला रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने की इच्छुक हो तो वे दिनांक 15-3-11 तक न्यायालयीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	अब्दुल गफ्फर मेमोरियल ट्रस्ट, संजीवनी कैंसर हॉस्पीटल, जैन मंदिर (भैरव सोसायटी) के सामने दावड़ा कालोनी, पचपेढ़ी नाका, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5,000/- नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा की मुद्रा की से आज दिनांक 8-2-11 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्रमांक /236/वाचक-1/2011.—आम जनता को सूचित किया जाता है, कि श्री बालाजी स्टेट ट्रस्ट, द्वारा अध्यक्ष/सरवराकार माननीय राजा रणविजय प्रताप सिंह देव ने श्री बालाजी स्टेट ट्रस्ट का नवीन पंजीयन छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की इच्छुक हो तो वे दिनांक 15-03-2011 तक न्यायालयीन अवधि में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री बालाजी स्टेट, ट्रस्ट जशपुरनगर
2.	चल संपत्ति	:	निरंक

3. अचल संपत्ति :

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	बाजार भाव
1.	जरिया	कुल ख. नं.-09	18.251 हे.	1813296.00
2.	टुकूटोली	कुल ख. नं.-06	14.010 हे.	12,54,188.00
3.	कुजरी	कुल ख. नं.-05	6.608 हे.	6,05,332.00
4.	बरटोली	कुल ख. नं.-05	6.067 हे.	4,96,668.00
5.	भुड़केला	कुल ख. नं.-28	56.069 हे.	66,38,08.00
6.	छोटाकरौंजा	कुल ख. नं.-14	26.445 हे.	23,13,636.00
7.	जशपुर	कुल ख. नं.-12	3.40 एकड़	----

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15-02-2011 को जारी.

जे. आर. बरिहा,
अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

(छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)

क्रमांक/साख/पंजीयन/2011/321.— बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. बिलासपुर (पंजीयन क्रमांक स. प. बि-4 दिनांक 27-4-1996) का संविलियन लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर (पंजीयन क्रमांक स. प. रा./पंजीयन/94/11 दिनांक 04-04-1994, दिनांक 27 -04-1996) में किये जाने संबंधी संविलियन प्रस्ताव पर टास्क फोर्स की बारहवीं बैठक दिनांक 7-8-2009 में अनुशंसा की गयी थी. जिसके आधार पर उक्त दोनों बैंकों से सहमति चाही गयी थीं.

प्रभारी अधिकारी बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. बिलासपुर ने अपने पत्र क्रमांक/वि. का. नाग. बैंक/2009/748 बिलासपुर दिनांक 9-11-2009 के द्वारा वार्षिक आमसभा दिनांक 7-11-2009 में अनुमोदन उपरांत संविलियन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. इसी प्रकार लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर ने अपने पत्र क्र./106 दिनांक 4-8-2009 द्वारा वार्षिक आमसभा दिनांक 4-1-2009 में अनुमोदन पश्चात् संविलियन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया. इसी तारतम्य में लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक द्वारा ड्यूडिलीजेंट रिपोर्ट दिनांक 7-7-2010 को इस कार्यालय में प्रेषित की गई, जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/3020 दिनांक 14-7-2010 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को दोनों बैंकों के संविलियन हेतु प्रस्ताव मय मर्जर रिपोर्ट संलग्न कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने प्रेषित किया गया.

भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई ने पत्र क्र./5675 दिनांक 27-12-2010 के द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है तथा इसकी सूचना उक्त दोनों बैंकों को भी दी गई है.

बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर का विलय लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर में बैंक के अंशधारियों एवं अमानतदारों के व्यापक हित में होने के कारण मैं, अमृत खलखो, पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग., छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर के दिनांक 19 जनवरी 2011 की स्थिति में पर समस्त सम्पत्तियों एवं देयताओं का विलय लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर में करते हुए, दिनांक 19 जनवरी 2011 को संविलियन की तिथि घोषित करता हूं. बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों, देयताओं, अभिलेखों, इमारत, वाहन व अन्य बैंक खातों आदि का हस्तान्तरण लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर के अधिकृत अधिकारी श्री मनजीत सिंह हूरा, प्रबंधक को किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है साथ ही बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर के सेवायुक्तों के संबंध में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें संयुक्त पंजीयक, रायपुर, संयुक्त पंजीयक, बिलासपुर

तथा प्रबंधक लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर होंगे, जो बिलासा महिला नागरिक बैंक के सेवायुक्तों के वेतनमान, वरिष्ठता एवं अन्य बिन्दुओं पर समग्र रिपोर्ट पंजीयक को एक माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर पंजीयक द्वारा बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक के सेवायुक्तों के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जावेगा, साथ ही यह निर्णय होने तक बिलासा बैंक में वर्तमान में कार्यरत सेवायुक्तों को संविलियन के पूर्व प्राप्त अनुसार ही वेतनभत्ते लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक द्वारा दिये जाते रहेंगे.

इस आदेश द्वारा बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर का संविलियन लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर में हो गया है. अतः बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर का अस्तित्व दिनांक 18-1-2011 के उपरान्त नहीं रहेगा.

अतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर का पंजीयन क्रमांक/स. प. बि.-4 दिनांक 27-4-1996, आज दिनांक 18 जनवरी को 2011 निरस्त समझा जावेगा. तत्संबंधी प्राप्त वैधानिक शक्तियों के प्रयोजनपूर्वक मैं अमृत खलखो, पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ. ग. बिलासा महिला नागरिक बैंक मर्या. बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18 जनवरी 2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

अमृत खलखो,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.